



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टॉक रोड जयपुर-15)

क्रमांक :- एफ-6 (नि) उपा. राज.(सा.प्र.)/ननिज/15/192

दिनांक :- 10/12/15

माह जनवरी 2016 में आवासीय/व्यावसायिक भूखण्डों एवं निर्मित दुकान की नीलामी सूचना

नगर निगम जयपुर द्वारा आवासीय/व्यावसायिक भूखण्डों एवं निर्मित दुकान की 99 वर्ष की लीज पर निम्नानुसार नीलामी की जा रही है। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित अमानता राशि का डीडी या बैंकर्स चैक (प्रति भूखण्ड) "नगर निगम जयपुर" के नाम से जमा करा कर नीलामी में भाग ले सकते हैं। (नगद राशि स्वीकार्य नहीं होगी)।

कार्यक्रम एवं नीलामी स्थल

उपायुक्त आयोजना कक्ष के बाहर (ऑक्शन हाऊस) नगर निगम जयपुर, मुख्यालय भवन समय - प्रातः 11.30 बजे

क्र. सं.	योजना/स्थान	आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड, एवं निर्मित दुकान	साईज वर्ग मीटर (लगभग)	नीलामी तिथि	अमानता राशि रुपये (प्रति भूखण्ड/प्रति दुकान) का डी. डी. या बैंकर्स चैक	नीलामी बोली प्रारम्भ करने की दर रुपये
1	नाहरी का नाका कल्पतरु शांतिम सेन्टर के पास, शास्त्री नगर, जयपुर	व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 16, 20, एवं 21	(10X15) प्रत्येक भूखण्ड 14 वर्ग मीटर	11.01.16	1,50,000/-	2,00,000/- रु. प्रति वर्ग मीटर
2	आर.पी.ए रोड, पानीपेय से जनसुपयोगी भवन के मध्य शास्त्री नगर, जयपुर।	व्यावसायिक भूखण्ड संख्या ए-36, ए-38, ए-39, एवं ए-40	(10X15) प्रत्येक भूखण्ड 14 वर्ग मीटर	12.01.16	1,10,000/-	1,43,000/- रु. प्रति वर्ग मीटर
3	ठाठर आवासीय योजना (दिल्ली वाईपास के नजदीक) आभर, जयपुर।	आवासीय भूखण्ड संख्या बी- 27, बी-63	(40X60) प्रत्येक भूखण्ड 223.04 वर्ग मीटर	13.01.16	1,00,000/-	15,000/- रु. प्रति वर्ग मीटर
4	राज्य बाजार, (जौहरी बाजार एवं सांगानेरी गेट के पास) जयपुर।	निर्मित दुकान संख्या 175,	प्रति दुकान 21.46 वर्ग मीटर	18.01.16	1,00,000/-	42,00,000/- रु. रुपये प्रति दुकान
5	सजय नगर, भट्टा बरती, शास्त्री नगर, जयपुर	व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 1, 1ए, 10 एवं 26	(20X22) प्रत्येक भूखण्ड 40.88 वर्ग मीटर	19.01.16	2,00,000/-	75,000/- प्रति वर्गमीटर


नोट :-

- 1 भूखण्ड मौके पर जिस अवस्था में है उसी अवस्था में नीलाम किये जायेगे। निर्मित दुकानों में छत का स्वामित्व नगर निगम जयपुर का रहेगा।
- 2 भूखण्ड का क्षेत्रफल मौके पर घट-बढ़ सकता है। तदनुसार अनुपातिक राशि घट-बढ़ सकती है।
- 3 नीलामी समाप्ति पर उच्चतम बोलीदाता को कुल नीलाम राशि की 25 प्रतिशत (1/4) राशि मौके पर ही नगद/डी.डी./बैंकर्सचैक/चैक से जमा करवानी होगी। शेष 75 प्रतिशत (3/4) नीलाम राशि, नीलामी बोली स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस के अंदर जमा करानी होगी।
- 4 नीलामी बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार महापौर नगर निगम जयपुर में निहित है।
- 5 दो से अधिक व्यक्तियों के नाम संपत्ति लिये जाने पर पार्टनरशीप डीड दिया जाना आवश्यक होगा, फर्म या अन्य व्यक्ति के नाम से बोली लगाने पर पावर ऑफ अटोर्नी एवं पहचान पत्र देना होगा।
शेष नीलामी शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालय समय में, कार्य दिवस को उपायुक्त (राजस्व)/राजस्व अधिकारी (भूमि नीलामी) से प्राप्त की जा सकती है।


उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि :-

- 1 जनसंपर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार नीलामी सूचना दैनिक समाचार पत्र, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर के दो बड़े एवं एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करण के आगामी अंक में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का कष्ट करें। हार्ड कापी (CD सहित) संलग्न है।
- 2 नगर निगम जयपुर की वेब साईट एवं लोक उपापन पोर्टल पर डालने बाबत ओसवाल डाटा, ई-गवर्नेंस, नगर निगम जयपुर को पालनार्थ। (निर्मित दुकानों/शोरूम की नीलामी शर्तें संलग्न हैं)।


उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर